नगर निगम ग्रेटर जयपुर

प्रारूप–3

(नियम 5(1) – (2) देखिए)

नगरीय विकास कर के स्व–निर्धारण के लिए प्रपत्र

सेवा में,
कार्यालय उपयोग हेतु
आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त/उपायुक्त/
जोन .....
नगर निगम जयपुर ग्रेटर।

रसीद नं.....
दिनांक .....

लिपिक के हस्ताक्षर

भाग–1
(सामान्य सूचना)

1.	**वित्तीय वर्ष**			
2.	अ.	भवन और भूमि के स्वामी/अधिभोगी का नाम		
	ब.	वृत्तिः – सेवा/ कारोबार/ गृहिणी/ अन्यः–		
	स.	आयु		
	द.	दूरभाष सं. :– कार्यालय	निवास	मोबाईलः
	ई.	वर्तमान पता / डाक का पता .... ई–मेल (यदि कोई हो)		
3.	**भवन और भूमि का पताः**			
	अ.	वॉर्ड संख्या		
	ब.	मौहल्ला/कॉलोनी का नाम		
	स.	प्लॉट/मकान/दुकान नं.		
	द.	भवन/कॉम्प्लेक्स का नाम		
	य.	गली का नाम		
	र.	सेक्टर नं. (यदि हो)		
		शहर का नाम		जयपुर

भागः 2

3.	**भवन और भूमि की विशिष्टियॉः**								
	1.	(अ) भूखण्ड का कुल क्षेत्र (वर्ग गज में)							
		(ब) खाली भूखण्ड का क्षेत्र (वर्ग गज में)							
		(स) खाली क्षेत्र (वर्ग गज में)							
		(द) कुल निर्मित क्षेत्र (वर्ग गज में)							
		(य) निर्मित तल/ मंजिलों की संख्या							
		(र) क्या भवन/भूमि मुख्य मार्ग/आन्तरिक मार्ग पर स्थित है।						मुख्य मार्ग/आन्तरिक मार्ग	
	2.	भूमि और भवन का तल वार क्षेत्र सहित उपयोग							
		भूमि का उपयोग		तल क्षेत्र का ब्यौरा (वर्ग फुट में)					
			तहखाना	भूतल	प्रथम तल	द्वितीय तल	तृतीय तल		कुल
		आवासीय							
		वाणिज्यिक							
		संस्थागत							
		औद्योगिक							
		विविध							

टिप्पणीः– तीन तलों से अधिक की स्थिति में अतिरिक्त कॉलम भरा जायेगा।

भाग–3

	क्रं.स.	विवरण	क्षेत्रफल	वर्ष की लागू डी.एल.सी. दर	देय राशि	कुल देय कर
	1	2	3	4	5	6
	1	संनिर्मित क्षेत्रफल (वर्ग गज में)				
		(अ) आवासीय				
		(ब) वाणिज्यिक				
		(स) संस्थागत				
		(द) औद्योगिक				
	2	खुला/खाली भूमि (वर्ग गज (ऊचें भवन/आवासीय/ वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स के लिए लागू नही				
		कुल				

नगरीय विकास कर वर्ष वार लागू डी.एल.सी. दर :–

वर्ष	डी.एल.सी. आवासीय/संस्थागत	डी.एल.सी. वाणिज्यिक	डी.एल.सी. औद्योगिक
2007–08			
2008–09			
2009–10			
2010–11			
2011–12			
2012–13			
2013–14			
2014–15			
2015–16			
2016–17			
2017–18			
2018–19			
2019–20			
2020–21			

टिप्पणी:–

1. स्वामी/अधिभोगी से उस के स्वामित्व वाली या अधिभोग की प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक–पृथक स्व–निर्धारण प्रपत्र भरने की अपेक्षा की जाती है।
2. स्वामी / अधिभोगी स्व–निर्धारण प्रपत्र भरने से पूर्व राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 102 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का अध्ययन करेगा।
3. यदि भूमि या भवन का उपयोग एक से अधिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है तो प्रत्येक प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाने वाले भाग को भाग–3 में उपदर्शित किया जाना चाहिए।
4. पूरे खाली भूखण्ड के लिए कर की गणना की दर वास्तविक उपयोग या अनुमत उपयोग जो भी अधिक हो पर की जावेगी।
5. एक सम्पत्ति के साझे में / बहुउपयोग के मामले में कर की दरों में वास्तविक उपयोग एक ही भूखण्ड के उपयोग के अनुसार लागू किया जायेगा।
6. अगर कर की राशि बैंक में प्रपत्र–3 के द्वारा जमा करायी जाती है तो यह तीन प्रतियों में भरा जायेगा। एक प्रति बैंक द्वारा रख ली जायेगी, एक प्रति नगर निगम ग्रेटर जयपुर में भेजी जायेगी तथा एक प्रति स्वामी/ अधिभोगी कर जमा की रसीद के साथ दे दी जायेगी।
7. अगर कर सीधे ही नगर निगम ग्रेटर जयपुर में प्रपत्र–3 के द्वारा जमा करायी जाती है तो यह दों प्रतियों में भरा जायेगा। एक प्रति नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा रख ली जायेगी तथा एक प्रति स्वामी/अधिभोगी कर जमा की रसीद के साथ लौटा दी जायेगी।
8. अगर कर ई–गवर्नेन्स के माध्यम से ऑनलाईन जमा कराया जाता है। प्रपत्र–3 की एक हार्डकॉपी जमा रसीद के साथ नगर निगम ग्रेटर जयपुर में भेजी जायेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम.....)
स्वामी/अधिभोगी/प्राधिकृत प्रतिनिधि